



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 1129/MAO 6219/019-5/25

दिनांक 02/04/25

“सार्वजनिक सूचना”

एतद द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शीता सिंघल पत्नी श्री पवन कुमार सिंघल द्वारा ऑनलाइन पोर्टल UPOBPAS.IN के माध्यम से खसरा संख्या-1056, ग्राम डासना, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 1838.00 वर्ग मी० भूमि पर पेट्रोल पम्प हेतु मानचित्र संख्या- GDA/BP/23-24/106 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है नियोजन अनुभाग की आख्यानसार प्रश्नगत स्थल गाजियाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत 100 मी० चौड़े मार्ग एन.एच.-9 के मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त शेष भाग संस्थागत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित है। गाजियाबाद महायोजना-2021 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार संस्थागत भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया सशर्त अनुमत्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक/स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि (30 दिन) में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण